कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –1, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 /

दिनांक–

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता
जिला शहरी विकास अभिकरण(DUDA)–1, पटना
जिला– पटना

महाशय,

जिला शहरी विकास अभिकरण–1, पटना के अक्टूबर 2016 से दिसम्बर 2017 तक के लेखाओं पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन सं0 1145 / 17–18 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

–ह०–

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

9148

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 / 1146 / 17

दिनांक– 09.07.2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, पटना

तनवीर हसन 09/07/18

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

निरीक्षण प्रतिवेदन सं.–1145 / 17–18

भाग– I

प्रस्तावना

1	निरीक्षित कार्यालय का नाम	जिला शहरी विकास अभिकरण, (डुडा–1), पटना
2	लेखा परीक्षा की अवधि	अक्टूबर 2016 से दिसम्बर 2017
3	लेखापरीक्षा का कार्य क्षेत्र	अक्टूबर 2016 से दिसम्बर 2017 तक के लेखाओं की नमूना जाँच की गयी एवं माह अक्टूबर 2016 के लेखाओं की विस्तृत जाँच एवं मई 2017 का अंकगणितीय जाँच की गयी।
4	लेखा परीक्षा की तिथि	15.01.18 से 19.01.18 तक (05 कार्य दिवस)
5	**कार्यपालक अभियंता :–** 1 श्री किशोरी प्रसाद देव	कार्यकाल 03.07.2015 से वर्तमान तक
6	लेखा परीक्षा दल के सदस्य	1. श्री रंजित कुमार (स.ले.प.अ) 2. श्री सुमित रंजन (स.ले.प.अ.) 3. श्री सुनिल पासवान (व.ले.प.)
7	पर्यवेक्षण पदाधिकारी	4. श्री राकेश खन्ना (व.ले.प.अ.)
8	पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन की स्थिति	उपलब्ध नहीं कराया गया।
9	लेखा परीक्षा टिप्पणी	जिला शहरी विकास अभिकरण डुडा–1, पटना के लेखा का संधारण संतोषप्रद नहीं था। अग्रिम पंजी का संधारण नहीं किया जा रहा था। अवरोधित राशि का उपयोग नहीं किया जा रहा था।
10	क्या आपत्तियों पर विचार– विमर्श किया गया?	हाँ

दावा अस्वीकरण प्रमाण–पत्र

(DISCLAIMER CERTIFICATE)

यह निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षित इकाई जिला शहरी विकास अभिकरण–1 (डुडा–1) द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय, महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना लेखा परीक्षित इकाई / कार्यालय द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु कतई उत्तरदायी नहीं होगा।

भाग– II(क)

शून्य

भाग– II(ख)

कंडिका सं0–1 योजना का नाम– वार्ड सं0–61 प्रतापपुर में अशोक धानू के घर से अखाड़ा तक पी0सी0सी0 सड़क व भूगर्भ नाला निर्माण।

प्राक्क0 राशि (4% सन्टेज सहित)– रू0 16,26,100.00

(पी0सी0सी0 सड़क–रू0 7,93,557.00, भूगर्भ नाला–रू0 8,32,543.00)

एकरारनामा राशि–10% न्यून–रू0 14,63,490.00

एकरारनामा सं0–62F_2 /16–17

संवेदक का नाम– श्री अविनाश कुमार सिंह, महेशपुर बड़ी अखाड़ा, झाऊगंज, पटना सिटी–8

कार्यादेश सं0– 1631 दिनांक– 22.08.2016

कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि– 21.10.2016

पर्यवेक्षण– श्री सच्चिदानन्द प्रसाद, कनीय अभियंता एवं श्री सुरेश पासवान, सहायक अभियंता एकरारनामा के clause 2 के प्रावधानानुसार निर्धारित तिथि तक कार्य पूर्ण न किये जाने पर संवेदक के दावे से 1/2% प्रतिदिन के दर से (विलम्बित कार्य मात्रा के लिये) अधिकतम प्राक्कलन के 10% की कटौती की जायेगी।

योजना संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि जि0श0वि0अ0–1, पटना के पत्रांक–1763 दिनांक 15.09.2016 द्वारा संवेदक को ज्ञापित किया गया कि भूगर्भ नाला, चैम्बर तथा मिट्टी कार्य स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन द्वारा कार्यान्वित कराया गया है तथा अभिकरण के पत्रांक 346 दिनांक 17.05.2017 द्वारा संवेदक को अवशेष कार्य (नाला के अतिरिक्त) न करने के विरूद्ध चेतावनी दी गयी। तत्पश्चात् संवेदक द्वारा किये गये कार्य मूल्य रू 9,42,041.00 की मापी कनीय अभियंता श्री सच्चिदानन्द प्रसाद द्वारा 20.10.2016 की तिथि में दर्ज की गयी तथा जिसकी सम्पुष्टि सहायक अभि0 द्वारा दिनांक 26.05.17 को की गयी जिसमें (First Running Bill) मद सं0–3, 7 से 17 तथा मद सं0 18 की क्रम सं0–(vi) से (x) के कुल रू. 1,68,637 मूल्य के कार्य विशिष्ट रूप से भूगर्भ नाला निर्माण से सम्बद्ध थे, जो पत्रांक–1763 दिनांक– 15.9.16 तथा पत्रांक–346 दिनांक–17.05.17 के आलोक में अनुमान्य नहीं थे। इस प्रकार अनुमान्य कृत कार्य मूल्य निम्न प्रकार थे–

रू 942041-168637=		773404.00
एकरारनामानुसार 10% न्यून–	रू0	77,340.00
	रू0	6,96,064.00

कटौतियाँ

1. S.D-5%- Rs 34,803.00
2. I.T-1%- Rs 6,961.00
3. Held up-C.GST-1% Rs 6,961.00
   SGST-1% Rs 6,961.00
4. Royalty- Rs 18,818
5. Penalty Royalty- Rs 15,608.00

Rs 90,112.00

6. Compensation deductible-10%- Rs 69,607.00

लेकिन दिनांक 20.10.16 में दर्ज कर नहीं काटा गया Rs 1,59,719.00 (b)

भुगतान योग्य– (a)-(b)= Rs 5,36,349.00

परन्तु रू0 6,56,040.00 का भुगतान किया गया।

आपत्ति के आलोक में बताया गया कि मात्र मुख्य संडक मे भू–गर्भ नाला स्थानीय क्षेत्र अभिगंम संगढन द्वारा बनाया गया है। इस योजना के लिंक पथ 150 फीट में डुडा–1 अन्तर्गत संवेदक द्वारा भू–गर्भ नाला एवं चार अदद चैम्बर बनाया गया। 20.10.2016 तक संवेदक द्वारा कराये गये कार्य की मापी कनीय अभियंता द्वारा मापी पुस्त में अंकित किया गया हैं। इस पथ का conneetivity 20.10.16 तक संवेदक द्वारा नही कराया गया था जिसका सन्दर्भ इस कार्यालय के पत्र दिनांक 17.05.17 से हैं। एकरारनामा के अनुसार यह आंषिक मात्रा मापी पुस्त में अकित नहीं है।

जवाब आंशिक रूप से संतोषप्रद हैं, परंन्तु पथ संयोजन का कार्य समय (निर्धारित) पर पूर्ण न किये जाने के लिये कटौती क्रम संख्या 6 नहीं कर रु 69607 का संवेदक को लाभ पहुॅचाया गया।

भाग– III
नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी (TAN)

टिप्पणी–1 बैंक खातों से प्राप्त ब्याज राशि अवरूद्ध :रू0 9.06 लाख

वित्त विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक– को0प्र0 / विविध–06 / 2015 / 4349; दिनांक– 12.05.2015 के अनुसार स्थानीय अभिकरणों द्वारा राज्य सरकार द्वारा सहायक अनुदान के रूप में प्राप्त राशियों को बैंक खातों में रखा जाता है। पी0एल0 खाते में जमा राशि सरकार के राजकोष में रहती है, लेकिन बैंक खातों में जमा राशि सरकार के राजकोष से बाहर रहती है जिससे राज्य का नगद अंतशेष कम होता है। उपरोक्त पत्रांक की कंडिका–1 में यह निर्देश दिया गया था कि जिला शहरी विकास अभिकरण के बैंक खातों में जमा अव्यवहृत राशि को पी0एल0 खाते में जमा करायी जाए। अव्यवहृत लोक धन पर उदग्रहित ब्याज राशि को अभिकरण के खाते में आय के रूप में नहीं लिया जाए तथा ब्याज राशि सरकार को चेक के माध्यम से वापस की जाए ताकि उसे सुसंगत शीर्ष में जमा कराया जाए।

जिला शहरी विकास अभिकरण–1 (डूडा–1), पटना द्वारा संधारित विभिन्न रोकड़ बहियों एवं बैंक पासबुक की जाँच में यह पाया गया कि डूडा–1, पटना द्वारा माह अक्टूबर 2016 से दिसम्बर 2017 के दौरान मुख्यमंत्री नगर विकास योजना, राष्ट्रीय सम विकास योजना, प्रशासनिक भवन आदि मद में प्राप्त सहायक अनुदान की राशियों को बैंक खातों में जमा किया गया था, जिन पर ब्याज के रूप में दिनांक 31.12.2017 तक कुल रू0 906512 प्राप्त किया गया था। परंतु, इस ब्याज राशि को वित्त विभाग के उपरोक्त पत्र के आलोक में सरकार के खाते में वापस नहीं किया गया था तथा ब्याज राशियों को रोकड़बही में अभिकरण की आय के रूप में लिया गया था। विवरण इस प्रकार है:–

Cash book Name	Bank Name / A/C No.	Date of Bank Intrest receiving.	Amount of intrest (In Rs)
नगर विकास योजना	Andhra Bank, a/c 163010100040254	14.12.2017	188912
प्रशासनिक भवन	Andhra Bank, a/c 163010100036385	14.12.2017	96185
मुख्यमंत्री नगर विकास योजना	Andhra Bank, a/c 163010100019908	14.12.2017	621415
		कुल	**906512**

आपत्ति के आलोक में बताया गया कि सूद की राशि पिछले माह दिसम्बर 2017 में जमा हुआ हैं। जिसे मुख्यमंत्री नगर विकास योजनान्तर्गत जिला पदाधिकारी को राशि रु 621415 चेक सं0 792175 दिनांक 19.01.18 राज्ययोनान्तर्गत राशि रु 188912 चेक सं0 792144 दिनांक 19.01.2018 इस कार्यालय के पंत्राक 57 दिनांक 19.01.18 तथा पंत्राक 58 दिनांक 19.01.18 द्वारा वापस कर दिया गया। इसी तरह प्रशासनिक भवन मद की राशि के सूद की राशि कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद, मोकामा को रु 48093 चेक सं0 791344 दिनांक 19.01.18 एव कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद, बाढ को रु 48092 चेक सं0

791343 दिनांक 19.01.18 से कमशः इस कार्यालय के पंत्राक 59 दिनांक 19.01.18 एवं पंत्राक 60 दिनांक 19.01.18 द्वारा वापस कर दिया गया।

टिप्पणी– 2 कार्य का अवास्तविक प्राक्कलन

योजना का नामः– कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वार्ड न. 47 बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी सेक्टर–6 एच 38 के सामने पार्क का निर्माण

Agreement No. 91f2/15-16

Estimate as per BOQ - Rs 21,42,463.00

Agreement value of work- Rs 22,28,200.00

Name of Agency:- nawal kishore singh

Test check of the scheme file, Measurement Book and other records produced to audit revealed the following;

1. Deviation from the estimate was noticed in most item of work. Details as under:-

Sl No.	Item of Work	As per BOQ	As per MB
1	Making 25cm (10^4) dia bore upto 4 mtr	288m	189m
2	63 cm under making at required	96	63
3	Providing local sand filling all com job	10.87 cum	7.44 cum
4	Prov. 100A Brick on flat soling all comp. job	59.46 sqm	40.67sqm
5	Prov RCC all comp job	45.60cum	29.71 cum
6	Prov RCC in wall	16.99 cum	15.14 cum
7	Prov MS Reinft all Comp Job	5633 kg	4055.59
8	Prov Bricks Masoy Work in c.m (1:4)	55.51 cum	36.58
9	Prov 15 mmthick c.p (1:3) all comp	713.47cum	546.61
10	Prov steel work welded all comp. Job	3456 kg	2395.13
11	Prov centering and shuttering all comp. Job	236.35sqm	237.13
12	Construction of embankment all comp Job	708m^3	713.66
13	Firbishing wall with water proof cement paint	713.47m^2	546.61
14	Painting with Readymixed paint	5633.58 m^2	98.93
15 (1)	Carriage of material of cement & still	38.85	27.74
15 (2)	Carriage of material of Sone sand	56.15m^3	39.57
15 (3)	Carriage of material of stone aggrigate	56.340 m^3	40.37
15 (4)	Carriage of material of Local sand	11.78 m^3	8.06
15 (5)	Carriage of material of Bricks	29716 nos	19631
16	Carriage of material of Notice borad	1	1

उपर्युक्त अंतर का कारण संचिका में दर्ज नहीं था।

प्राक्कलित मात्रा से कम कृतकार्य के बावजूद गुणवत्ता जॉच में कार्य को सही बताया जाना योजना के प्राक्कलन पर एक प्रश्नचिन्ह हैं जिससे यह प्रमाणित होता है कि प्राक्कलन स्थल जॉच कर न तो तैयार किय गया और न ही तकनीकी स्वीकृति के समय प्राक्कलन की भली प्रकार जॉच की गयी।

आपत्ति के आलोक में बताया गया कि कार्य से सम्बधित प्राक्कलन में बाउन्ड्री वाल की कुल लम्बाई 768 फीट का प्रावधान स्थल के अनुसार किया गया था। स्थल के परिसिमन विवाद के फलस्वरूप वाउन्ड्री वाल की कुल लम्बाई 525 फीट मात्र हो पाया। किये गये कार्य के अनुसार मापी अंकित किया गया हैं जो गुणवत्ता युक्त हैं। कार्य पूर्ण हो चूका हैं। लम्बाई कम होने के कारण परिमाण विपत्र के सभी मदों का कम होना स्वभाविक हैं एव एकरारनामा के अन्तर्गत हैं। विचलन का कोई प्रश्न नहीं हैं।

जवाब आंशिक रूप से संतोषप्रद हैं तथा यह तथ्य सामने आती हैं कि यदि प्राक्कलन स्थल के भौतिक निरीक्षणोपरान्त तैयार किया जाता तो बाउन्ड्री वाल की केवल 525 फीट की लम्बाई के लिये प्राक्कलन बनता।

टिप्पणी– 3 लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत महत्वपूर्ण अभिलेख

कार्यालय जिला शहरी विकास अभिकरण–1 (डूडा–1) के लेखापरीक्षा के दौरान पाया यह पाया गया कि कार्यालय द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण /पंजियों का संधारण नहीं किया जा रहा था अथवा उपयुक्त प्रारूप में संधारणित नहीं था अथवा अप्रस्तुत था।

(i) परिसंपत्ति पंजी (Asset Register)

(ii) अग्रिम पंजी (Advance Register)

(iii) पंजियों/संचिका की पंजी (Register of Register/files)

(iv) सामान्य रोकड़ बहीं (Genaral Cash Book)

(v) कटौतीयों की पंजी (Register of deductions)

(vi) जमाओं/प्रतिभूतियों की पंजी (Register of deposites/securities)

(vii) भंडार पंजी (Stock register MB & BOQ)

(viii) बैंक समाशोधन विवरणी।

(ix) सेन्टेज चार्ज रजिस्टर।

(x) आवंटन पंजी

(xi) कार्य–सार पंजी,

(xii) पी0एल0खाता

(xiii) स्थापना सहायक रोकड़ बही एवं बैंक पासबुक

आपत्ति के आलोक में बताया गया कि

1. परिसम्पत्ति पंजी (Asset register)- डूडा द्वारा नगर निकायो के अन्तर्गत पथ एवं नाला का ही कार्य किया जाता हैं, अतएवं परिसम्पति नगर निकायो का होता है।
2. अग्रिम पंजी (Advance Register)- Hand Reciept एवं रोकड बही में संधारित है।
3. पंजियों/संचिका की पंजी– इस कार्यालय में कार्यालय कर्मियो का अभाव है जिस कारण संचिका की पंजी का निर्धारण नहीं किया जा सका हैं। कर्मी की नियुक्ति होते ही इस कार्य को कर लिया जाएगा।
4. सामान्य रोकड– सभी मदों का अलग– अलग रोकड बही पूर्व से संधारित हैं।
5. कटौतियों की पंजी – विपत्र पंजी में अंकित हैं।
6. जमाओ/प्रतिभूतियो की पंजी – संधारित किया जाता है।
7. भंडार पंजी– MB रजिस्टर संधारित हैं। ई टेन्डरिंग निविदा के फलस्वरूप BOQ electronically निर्गत होता हैं।
8. बैंक समाशोधन विवरणी– बैंक पासबुक एवं रोकड बही में सुस्पष्ट हैं।
9. सेन्टेज चार्ज रजिस्टर– योजना पंजी में संधारित हैं।
10. आवंटन पंजी– संधारित है।
11. कार्य– सार पंजी– कर्मियो की नियुक्ति के पश्चात् इसका संधारण कर लिया जाएगा।
12. पी0एल0खाता0– यहॉ पी0एल0 खाता नहीं हैं।
13. स्थापना सहायक रोकड बही एवं बैंक पासबुक– अलग से पासबुक नही हैं। भरपाई बही से भुगतान किया गया है।

–हस्ता0–
(राकेश खन्ना)
व0ले0प0अ0
–अनुमोदित–
उप महालेखाकार (सा0प्र0–I/स्था0नि0)